न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

अपील संख्या 120/2017 धारा 223 आरटीए हरचन्दसिंह बनाम परमजीतसिंह

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
6.07.2018	उभयपक्ष अभिभाषक उपस्थित। रेस्पोडेन्ट परमजीत सिंह के अधिवक्ता ने दिनांक 25.05.2018 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर कथन किया कि रेस्पो संख्या 4 करतारकौर का देहान्त दिनांक 08.06.2016 को हो चुका है। अपीलांट करतारकौर के पुत्र है तथा करतारकौर की मृत्यु की जानकारी अपीलांट को थी फिर भी अपीलांट द्वारा करतारकौर के वारिसान को रेकार्ड पर लेने की कोई कार्यवाही निर्धारित 90 दिवस में नहीं की है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट अबेट होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे। अपीलांट द्वारा दिनांक 27.06.2018 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर कथन किया कि उक्त प्रकरण माननीय राजस्व मंडल में विचाराधीन था राजस्व मंडल से प्रकरण इस न्यायालय को प्राप्त होने पर अपीलाट की ओर से दिनांक 15.03.2018 को वकालतनामा पेश किया गया और अपील की नकल प्राप्त करने पर अपीलांट को बताया कि अपील में रेस्पो. संख्या 4 पक्षकार है जिस पर अपीलांट को जानकारी होने पर बिना किसी देरी के प्रार्थना पत्र मय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया है। करतार कौर के प्रथम श्रेणी के वारिसान अपीलांट व रेस्पो. सं. 1 से 3 पहले से ही रिकार्ड पर है। करतारकौर की चार पुत्रियां है जिन्हे बतौर रेस्पो. बनाया जावे। अपीलांट के प्रा.पत्र का जवाब दिनांक 28.06.2018 को रेस्पो. द्वारा पेश कर कथन किया कि करतार कौर की चार पुत्रियों में से एक पुत्री की मृत्यु हो चुकी है। अपीलांट व रेस्पो. सं. 2 से 3 को सम्पूर्ण तौर पर दिनांक 12.08.2004 को मुकदमेंबाजी शुरू हुई तब से करतार कौर पक्षकार है। अपीलांट	

6/7/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

को करतार कौर की मृत्यु की जानकारी मृत्यु के दिन से होने के पश्चात उसके द्वारा उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कोई कार्यवाही नहीं की। अतः अपील अबेट होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

प्रा.पत्र पर बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारों में इस बाबत कोई विवाद नहीं है कि करतार कौर अपीलांट एवं रेस्पों. सं. 1 से 3 की माता है। करतार कौर की मृत्यु दिनांक 08.06.2016 को हो चुकी है जिसकी जानकारी अपीलांट को न हो यह नहीं माना जा सकता और न ही अपीलांट ने ऐसा कथन किया कि उसे करतारकौर की मृत्यु की जानकारी नहीं थी। वकील रेस्पों. ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.डी. 1986 पेज 411 , आर.एल.आर. 2000(2) पेज 599, आर.बी.जे. 2017 पेज 19, आर.आर.डी. 2000 पेज 421, आर.आर.डी. 2001 पेज 42, आर.बी.जे. 2017 पेज 536, आर.जे.टी. 2014 (2) पेज 1139 की नजीरें पेश की। जहां तक रेस्पों. सं. 4 करतार कौर की मृत्यु दिनांक 08.06.2016 को हुई एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण का निर्णय दिनांक 14.08.2017 को किया गया। माननीय राजस्व मण्डल में भी अपीलांट द्वारा करतार कौर के वारिसान को भी रिकार्ड पर लेने की कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि करतार कौर की मृत्यु दिनांक 08.06.2016 को होने के पश्चात समयावधि में उसके शेष रहे वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने की कार्यवाही नहीं की गई। ऐसी स्थिति में रेस्पों. द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अबेट होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णित पत्रावली नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो।

6/7/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)